05/2017 बाबूलाल / अमरसिंह
2017 / 00005

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत तसीमों)

पीठासीन अधिकारी –विनोद कुमार मीना (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या– 05 / 2017

1 बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री बेदरिया 2–छत्तरसिंह पुत्र स्व0 श्री करनसिंह
3–सोनू आयू 15 साल 4–मोनू आयु 11 साल नावालिग पुत्रगण स्व0श्री गोपाल सरपरस्त ताऊ श्री बाबूलाल पुत्रश्री स्व0 बेदरिया
समस्त जातिगण जाटव निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

————वादीगण

बनाम

1–अमरसिंह 2–भमरसिंह पुत्रगण साधू 3–राजू 4–शिवकुमार 5–कांजू पुत्रगण सरनाम 6–देवेन्द्रसिंह 7–कम्पोटर 8–रामवरन 9–श्याम वरन 10–भगवानदास 11–नरेन्द्र पुत्रगण भमरसिंह 12–मुन्नू 13–पप्पू 14–दशरथ 15–हरिओम समस्त जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

———— प्रतिवादी

दावा वास्ते स्थाई निशेधाज्ञा
एवं कराये जाने पत्थरगढी

उपस्थिति–
1–श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट – वादीगण

निर्णय दिनांक : 19.6.2017

वादीगण की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2130 / 2916 रकवा 10 बीघा वाके ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ वादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा काबिज होकर काश्त कर रहे है । उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है । फिर भी आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे की आराजी में व्यवधान पैदा करते है तथा मेड तोडकर अपने खेत में मिलाना चाहता है । जिस पर प्रतिवादीगण ने काफी समझाया लेकिन वह नहीं माने और नाराज हो गये । वादीगण अनुसूचित जाति के तथा प्रतिवादीगण सवर्ण जाति के चलाव वाले व्यक्ति है । इस सम्बन्ध में वादी बाबूलाल द्वारा दावा दायरी से पूर्व ही उक्त आराजी को पैमाइश कराने हेतु उच्चाधिकारियों को आवेदन किये थे । जिस पर राजस्व अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा विवादित आराजी की पैमाइश कर दिनांक 24.5.2016 को निशानात

लगाये गये है । लेकिन दावा दायरी से 5 दिवस पूर्व निशानात को मिटाने एवं विवादित आराजी को अपनी आराजी में मिलाने की धमकी दी है । इसलिए वादीगण को आवश्यक हो गया कि वह न्यायालय के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करें । वादीगण ने अन्त में निवेदन किया है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को हमेशा–हमेशा के लिए पावंद किया जावे कि वह वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि में कराई गई पैमाइश व लगाये गये निशानात दिनांक 24.7.2016 को नष्ट नहीं करें और पुलिस सहायता से पत्थरगढी कराई जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे विवादित आराजी में की गई पैमाइश व निशानात को नष्ट व क्षतिग्रस्त नहीं करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत वेजा नहीं करें ।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील राजस्व लोक अदालत – न्याय आपके द्वारा 2017 / कैम्प कोर्ट में उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । वकील वादी एवं वादीगण उपस्थित । विद्वान अभिभाषक वादीगण एवं वादी बाबूलाल को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया । वादीगण की ओर निवेदन किया गया है कि हम कमजोर व अनुसूचित जाति के सदस्य है । प्रतिवादीगण सवर्ण जाति के एवं चलाव वाले व्यक्ति हैं । वादीगण की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है, राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित आराजी की निशानदेही की है जिसे वह क्षतिग्रस्त करना चाहते है । पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी की आराजी है । उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है । इसलिए वादीगण अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है । उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य है ।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है । तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2130 / 2916 रकवा 10 बीघा वाके ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर की दिनांक 24.7.2016 को की गई पैमाइश व लगाये निशानात का सत्यापन कर सही पाये जाने पत्थरगढी कराई जावे । आवश्यकता हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त करें । साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा हमेशा–हमेशा के लिए पावंद किया जाता है कि वह वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त विवादित आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत वेजा नहीं करें तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा लगाये गये निशानात व की गई पत्थरगढी को नष्ट व क्षतिग्रस्त करने की चेष्टा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19.6.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उप खण्डाधिकारी सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

ग्राम पंचायत ......तसीमों......

डिक्री व मुकदमे ईव्तदाई

आज अदालत – उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

प्रकरण संख्या– 05/2017

व इजलास : विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0

1–बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री बेदरिया 2–छत्तरसिंह पुत्र स्व0 श्री करनसिंह
3–सोनू आयू 15 साल 4–मोनू आयु 11 साल नावालिग पुत्रगण स्व0श्री गोपाल
सरपरस्त ताऊ श्री बाबूलाल पुत्रश्री स्व0 बेदरिया
समस्त जातिगण जाटव निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

-----------वादीगण

बनाम

1–अमरसिंह 2–भमरसिंह पुत्रगण साधू 3–राजू 4–शिवकुमार 5–काजू पुत्रगण सरनाम 6–देवेन्द्रसिंह 7–कम्पोटर 8–रामवरन 9–श्याम वरन 10–भगवानदास 11–नरेन्द्र पुत्रगण भमरसिंह 12–मुन्नू 13–पप्पू 14–दशरथ 15–हरिओम समस्त जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

--------- प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ जिला-धौलपुर (राज.)

दावा वास्ते स्थाई निशेधाज्ञा
एवं कराये जाने पत्थरगढी

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ विनोद कुमार मीना (आर0ए0एस0) व हाजिरी मिनजानिव मुद्दई श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट एवं मिनजानिव मुद्दायलह श्री .... पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है । तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2130/2916 रकवा 10 बीघा वाके ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर की दिनांक 24.7.2016 को की गई पैमाइश व लगाये निशानात का सत्यापन कर सही पाये जाने पत्थरगढी कराई जावे । आवश्यकता हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त करें । साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा हमेशा–हमेशा के लिए पावंद किया जाता है कि वह वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त विवादित आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत वेजा नहीं करें तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा लगाये गये निशानात व की गई पत्थरगढी को नष्ट व क्षतिग्रस्त करने की चेष्टा नहीं करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.6.2017 को जारी की गई ।

उप खण्डाधिकारी सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
राजस्व लोक अदालत अभियान/न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....